

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

SDO

मुकाम

सीधौली

श्री शंकर लाल

बनाम

श्री यमलाल

किस्म मुकद्दमा

53, 88 R.A.A.

नं.

51/18

सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16/5/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>सरगना</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि <u>श्री शंकर लाल / मालुमलिया, मोहनलाल / मालुमलिया एवं यमलाल लाल ने आपसी सहमति से सहायते से एक-दूसरे को देते हुए सब प्रिन्सिपल</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>कान्हापुरा</u> में <u>शंकर लाल</u> की <u>प्लॉट नम्बर 1</u> एवं <u>मोहनलाल मालुमलिया</u> एवं <u>यमलाल / मालुमलिया</u> के बीच <u>अन-149 0.65 हे. सहायते से</u> सहमति से <u>सहायते से</u> इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फाँसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>(जितेन्द्र कुमार पण्डे)</p> <p>पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत उपखण्ड अदालत पटेल सहायक कार्यालय बडीसादड़ी (नगर)</p>	

